

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009  
के लिए प्रार्थना पत्र

(1) प्रार्थी का नाम:

प्रार्थी का फोटो ग्राफ (बाल  
विकास परियोजना अधिकारी  
द्वारा सत्यापित)

(2) जाति:

(3) जन्म तिथि:

(4) पिता /पति का नाम:

(5) माता-पिता/पति में कौन जीवित है:

(6) अनाथ बच्चों के मामले में अभिभावक का नाम

(7) प्रार्थी का स्थाई पता:

गांव \_\_\_\_\_ डा0 \_\_\_\_\_

पिन कोड \_\_\_\_\_ पंचायत \_\_\_\_\_

तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

(8) वर्तमान पता : गांव \_\_\_\_\_ डा0 \_\_\_\_\_

पिन कोड \_\_\_\_\_ पंचायत \_\_\_\_\_

तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

(9) प्रार्थी के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सूची

---

क्र0सं0	नाम	जन्म तिथि	कक्षा जिसमें पढ रहा है
---------	-----	-----------	------------------------

---

(10) प्रार्थी का वर्तमान व्यवसाय:

(11) प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता

(12) क्या प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सहायता/पेंशन इत्यादि सरकार से मिलती है

यदि हां तो

कुल मासिक राशि

विभाग का नाम

(13) प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण:—

(1) शाखा का नाम जहां बचत खाता खुला है:

(2) बचत खाता संख्या:

दिनांक :—

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

### घोषणा

मैं----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री-----

गांव-----डा0-----तहसील-----

जिला-----सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करती/करता हूं कि उक्त विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है । इनमें कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी तथ्य छुपाया गया है । सहायता राशि स्वीकृत होने पर राशि मेरे बचत खाता संख्या-----

जो----- बैंक/ डाकघर मे खुला है मे जमा की जाए । \*

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएं:—

1. प्रार्थना-पत्र के पृष्ठ 3 पर सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय से प्रमाण-पत्र जारी हो ।

2. गैर बीपीएल परिवारों से सम्बन्धित प्रार्थी का वार्षिक आय प्रमाण—पत्र जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से जारी हो ।
3. निःसहाय महिला होने/अनाथ बच्चों के अभिभावक होने के बारे पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर ब्यान हल्फिया जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हो ।

\* यदि प्रार्थी के नाम बचत खाता बैंक/डाकघर में खुला नहीं हो तो इसी प्रकार की वचन बद्धता सहायता राशि स्वीकृत करने के उपरान्त प्राप्त करनी होगी ।

### हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

#### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पत्नी/पुत्री/श्री \_\_\_\_\_ ग्राम \_\_\_\_\_ डा० \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ हि०प्र० का स्थाई निवासी है ।

2. श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ की जन्म तिथि पंचायत/शहरी निकाय रिकार्ड अनुसार \_\_\_\_\_ (शब्दों में \_\_\_\_\_) है ।

**निःसहाय महिलाओं के मामले में \***

3. 1 श्रीमती \_\_\_\_\_ के 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चों के नाम के सम्मुख दर्शाई गई जन्म तिथि पंचायत /शहरी निकाय के रिकार्ड अनुसार प्रमाणित की जाती है :-

क्र०सं०	बच्चे का नाम	बच्चे की जन्म तिथि

**अनाथ बच्चों के मामले में \***

3. 2 श्री/श्रीमती ----- निम्नलिखित बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान में इन बच्चों का अभिभावक के रूप में पालन-पोषण कर रहे हैं, रिकार्ड अनुसार जन्म तिथि तथा उनके माता-पिता की मृत्यु की तिथि उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई है, :-

क्र०सं०	बच्चे का नाम	बच्चे की जन्म तिथि	बच्चे के माता-पिता की मृत्यु की तिथि

4. श्रीमती ----- हि०प्र० ग्रामीण विकास विभाग /शहरी विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के सर्वेक्षण अनुसार क्रमांक ----- जिला ----- के चयनित परिवार का सदस्य है।

हस्ताक्षर

पंचायत सचिव/सचिव/कार्यकारी अधिकारी

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय-----

(मोहर सहित)

नोट:- \* जो लागू न हो उसे काट दें।

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट:-

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/ श्रीमती ----- पुत्र/पुत्री ----- ग्राम  
----- डा0 ----- तहसील ----- जिला -----

हि0प्र0 के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा सही पाया गया । अतः प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009 के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है ।

हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी

दिनांक:-

(मोहर सहित)